


Indian Union Vehicle Registration Certificate
Issued by Government of Chhattisgarh



Regn. Number Date of Regn. Regn. Validity
CG07CH7889 28-06-2022 As per Fitness

Chassis Number
MBUZT54XFN0287259

Owner 1
Serial

Engine / Motor Number
SLT6FN278893

Owner Name
HOLISTIC FOUNDATION

Son / Wife / Daughter of (In case of Individual Owner)
NA

Address
VILLAGE - CHANDKHURI, DURG, DURG, Durg, CG, 491001


Fuel
DIESEL

Emission Norms
BHARAT STAGE VI

Issue Date : 19-07-2022
SECRETARY
HOLISTIC FOUNDATION
DURG (C.G.)

Principal
Sun Public School
Chandkhuri, Durg (C.G.)

Indian Union Vehicle Registration Certificate
Issued by Government of Chhattisgarh



Regn. Number Date of Regn. Regn. Validity
CG07CH7889 28-06-2022 As per Fitness

Chassis Number
MBUZT54XFN0287259

Owner (1)
Serial

Engine / Motor Number
SLT6FN278893

Owner Name
HOLISTIC FOUNDATION

Son / Wife / Daughter of (In case of Individual Owner)
NA

Fuel
DIESEL
Emission Norms
BHARAT STAGE VI

Address
VILLAGE - CHANDKHURI, DURG, DURG, Durg, CG, 491001

Issue Date : 19-07-2022

SECRETARY
HOLISTIC FOUNDATION
CHANDKHURI, DURG, CG

Principal
Sun Public School
Chandkhuri, Durg (C.G.)




Vehicle Class: Educational Institution Bus (MPV)

Regn. Number
CG07CH7889

Maker's Name
SML ISUZU LTD

T006900100



Model Name
S75100SCHOOLBUS53SEATER

Colour
GOLDEN YELLOW

Body Type
BUS

Seating (in all) / Standing / Sleeper Capacity
53 0 0

Month-Year of Mfg.
06-2022

Unladen / Laden / Gross Combination Weight (kg)
5120 / 8800 / 0


Number of Cylinders
4


Cubic Capacity / Horse Power(BHP/Kw)
3455.00 100.50

Wheel Base(mm)
5100

Number of Axle
2

Financer Name
HDFC BANK LTD


Registration Authority
DURG RTO


Principal
Sun Public School
Chandkhuri, Durg (C.G.)

SECRETARY
HOLISTIC FOUNDATION 23A
DURG (C.G.)

पत्र सं. ए.पी.ए.सी. 52 (0) ए.पी.सी. (0)

दिनांक 13 (1) (क) देहरादून

विशेष: अंगुष्ठापत्र प्राप्त है।

क्यापत्र: दो दिन पर्यन्त अतिरिक्त 50 (0) मिनट

(अंगुष्ठापत्र अतिरिक्त 1000 की छूट 70 (3) के अर्धीन अंगुष्ठापत्र एक ही दिन अतिरिक्त
परिधि के अन्दर तारीख 17.08.2022 तक प्राप्त किया गया।

(0) ए.पी.सी. (0) संख्या 111/2022-

संस्था का नाम
पता
मार्ग/मार्ग / क्षेत्र

HOLISTIC FOUNDATION
CHANDKHURI DURG (C.G.)
DURG, RAIPUR, BALOD, &
DISTRICTS AREA LIMITS

विकास के लिए अंगुष्ठापत्र वैध है। 52

यान की वैधक संख्या	प्रकार गेक एवं मॉडल	निर्माण वर्ष	वैधकता	वैधकता नम्बर
1	2	3	4	5
CG07CH-7889	S.MIL SCH/BUS	2022	52	0287259



दो गे जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा : STUDENTS & STAFF OF
निबंधन जिनके अधीन उन्हें देया जायेगा SCHOOL ONLY
को लागे व ले जाने हेतु

अंगुष्ठापत्र की वैधता दिनांक 18.08.2022 से 17.07.2027

कमरा:2

Principal
Sun Public School
Chandkhuri, Durg (C.G.)

SECRETARY
HOLISTIC FOUNDATION
DURG (C.G.)

शर्तें निम्नानुसार हैं

1. परमिट/घरती द्वारा किसी भी समय रात में सड़क के किनारे के अतिरिक्त कोई भी अन्य जगह पर रात में कोई भी अन्य गतिविधि नहीं करेगी।
2. कोई भी व्यक्ति या वाहन रात में 12:00 बजे के बाद सड़क के किनारे कोई भी गतिविधि नहीं करेगा और सड़क के किनारे परमिट/घरती का उपयोग नहीं करेगा।
3. परमिट/घरती को अपनी सड़क सड़क पर या मोटरगाड़ी अतिरिक्त कोई भी अन्य जगह पर रात में कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
4. वाहन सड़क पर रात में 12:00 बजे के बाद सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त नहीं करेगा।
5. परमिट/घरती को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
6. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
7. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
8. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
9. परमिट/घरती को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
10. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
11. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
12. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
13. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
14. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
15. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
16. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
17. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
18. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
19. वाहन को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
20. परमिट/घरती को सड़क के किनारे परमिट/घरती के अतिरिक्त कोई भी गतिविधि नहीं करेगी।
21. कोई भी वाहन 12 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगा। वाहन का जीवकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर अन्य वाहन से प्रतिस्थापना करवाना या परमिट सदैम के लिए समाप्त करना अनिवार्य होगा।
22. छ.ग. मोटरगाड़ी नियम 1994 के नियम 76 (ख) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
23. क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा एक गाड़ का नोटिफिकेशन देकर :-
(अ) परमिट की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है।
(ब) परमिट में अन्य शर्तें जोड़ सकता है।

Deputy Secretary
Regional Transport Authority
Durg (C.G.)

Principal
Sun Public School
Chandkhuri, Durg (C.G.)

SECRETARY
HOLISTIC FOUNDATION
DURG (C.G.)

शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. परमिटधारी द्वारा किसी भी समय यान में सवधान के स्टाफ के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति अथवा यात्री नहीं बैठाएगा। यान में यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास सवधान द्वारा जारी परिचय पत्र होना आवश्यक है।
2. यदि किसी पर सवधान स्टाफ से निम्न आदमी को छोड़ा जाता है तो यह परमिट शर्त का उल्लंघन होगा और परमिट निरस्त किया जा सकता है।
3. परमिटधारी को अपनी वाहन सदैव स्वच्छ एवं मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियमों व शर्तों एवं प्रावधानों के अनुकूल रतना होगा।
4. समय समय पर वाहन का फिटनेस प्रमाणपत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करना आवश्यक होगा तथा वाहन के करों का भुगतान नियमित रूप से हटाया जायेगा। किसी समय करों की कटौती नहीं की जायेगी।
5. वाहन जैसे ही परमिट से हटाया जाता है तो यह परमिट निरस्त करने हेतु कार्यालय में जमा कराया जायेगा।
6. वाहन में सदैव एक लॉग बुक रखी जायेगी जिसमें वाहन के मार्ग में चलने का विवरण प्रतिदिन दर्ज किया जायेगा।
7. वाहन चालक के अतिरिक्त यान में एक अटैन्डेन्ट वर्दी में रहेगा जो वाहन के संचालन के लिए जिम्मेदार रहेगा।
8. वाहन का चालन एवं अटैन्डेन्ट सदैव वर्दी में रहेगा तथा नेम प्लेट अपनी ड्रेस में लगायेगा व वैद्य लायसेंस साथ रखेगा।
9. परमिट की वाहन एस.टी.ए द्वारा निर्धारित कलर योजना के अनुसार पीले रंग की रहेगी। इस पर आसमानी नीले रंग का 08 इंच नड बीच में रखा जायेगा।
10. वाहन के आगे बोर्ड पर निजी सेवायान का बोर्ड प्रदर्शित किया जायेगा।
11. स्कूल बस में जाली एवं स्पीड गर्बनर लगा होना अनिवार्य होगा।
12. प्रत्येक वाहन के आगे व पीछे "ऑन स्कूल ड्यूटी" विपरीत रंग से लिखा जायेगा। ऐसे वाहनों के मालिक एवं चालक का नाम तथा अन्य विवरण, उस क्षेत्र के पुलिस थाना को दिये जायेंगे, जिसमें स्कूल स्थित है।
13. प्रत्येक वाहन में प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमन यंत्र की व्यवस्था की जायेगी।
14. प्रत्येक वाहन का संचालन ऐसे चालक द्वारा दिया जायेगा, जो रथाई ड्रायविंग लाईसेंस धारण करता हो तथा जिसके पास भारी यान चलाने के लिए न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव हो। ऐसे चालकों को नियोजित नहीं किये जायेंगे, जिनका सड़क पर लेन व्यवस्था का उल्लंघन करने या सिग्नल लाईट का उल्लंघन करने या अनधिकृत व्यक्तियों को वाहन में चढ़ाने पर वर्ष में दो बार से अधिक चालान किया गया हो। ऐसे चालक नियोजित नहीं किया जायेगा, जिसका एक बार भी अनियंत्रित गति, नशे की हालात में वाहन तथा खतरनाक ढंग से वाहन संचालन करने के अपराध में चालान किया गया हो। स्कूल संस्थान द्वारा वाहन के चालक से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा।
15. प्रत्येक वाहन में, सीट के नीचे बस्ता रखने का पर्याप्त स्थान होगा।
16. प्रत्येक वाहन के दाहिनी ओर एक आपातकालीन दरवाजा होगा, जो हमेशा अच्छी स्थिति में बंद रहेगा, जिसे केवल आपात कालीन स्थिति में ही खोला जायेगा।
17. वाहन का प्रवेश द्वारा विश्वसनीय लॉकिंग सिस्टम से युक्त होगा।
18. वाहन की खिडकियों में फिल्मयुक्त रंगीन कांच अथवा पर्दे नहीं लगाये जायेंगे। ऐसे सुरक्षा कांच, जो मोटरयान नियम, 1989 के नियम 100 में प्रावधानित है लगाये जायेंगे।
19. वाहनों में प्रेशर हार्न नहीं लगाया जायेगा। रात्रि में संचालन करने पर, वाहन के अंदर नीले रंग का नल्य लगाया जायेगा।
20. प्रत्येक वाहन में वैद्य नीमा प्रमाण पत्र, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र एवं कर जमा होने के प्रमाण पत्र रखना होगा।
21. कोई भी वाहन 12 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होगी। वाहन का जीवनकाल 12 वर्ष पूर्ण होने पर अन्य वाहन में प्रतिस्थापना करवाना या परमिट सदैव के लिए समर्पण करना अनिवार्य होगा।
22. छ.ग. मोटरयान नियम 1994 के नियम 76 (ख) का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
23. क्षेत्रीय परिचालन प्राधिकार द्वारा एक माह का नोटिस देकर :-
(अ) परमिट की शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है।
(ब) परमिट में अन्य शर्तें जोड़ सकता है।

Deputy Secretary
Regional Transport Authority
क्षेत्रीय परिचालन प्राधिकार, दुर्ग (छ.ग.)

SECRETARY
HOLISTIC FOUNDATION
DURG (C.G.)

Principal
Sun Public School
Chandkhuri, Durg (C.G.)





GOVERNMENT OF CHHATTISGARH

State Transport Department

DURG RTO

FORM 38

[See Rule 62(1)]

CERTIFICATE OF FITNESS

(Applicable in the case of transport vehicles only)



Vehicle No: CG07CL2769 (Educational Institution Bus) is certified as complying with the provisions of the Motor vehicles Act, 1988 and the rules made there under.

Registration No : CG07CL2769
 Application No : CG22122381211240
 Inspection Fee Receipt No : CG7D221200003636
 Receipt Date : 23-Dec-2022
 Chassis No : MBUZT54XDN0285044
 Engine No : SLT6DN276792
 Seating Capacity : 46 (Including Driver)
 Type of Body : SCHOOL BUS
 Manufacturing Year : 2022
 Category of Vehicle : HPV
 Inspected on : 23-Dec-2022

Certificate will expire on : 22-Dec-2024
 Next Inspection Due : 23-Nov-2024
 Date

Printed on : 27-Jan-2023 16:55:54

Inspected by (VISHNU THAKUR)

Signature of Inspecting Authority
 DURG RTO Durg (C.G.)
 3113

SECRETARY
 HOLISTIC FOUNDATION
 DURG (C.G.)

Principal
 Sun Public School
 Chandkhuri, Durg (C.G.)

प्रारूप - एम.पी.एम.वी. आर 52 (पी. एरा. व्ही. पी.)


1 नियम 73 (1) (b) देखिए

पाइपेट सेवायान अनुज्ञापत्र

कार्यालय :- क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी दुर्ग (छ.ग.)

अनुज्ञापत्र मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 76 (3) के अधीन उप सचिव एकल क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के आदेश तारीख 17.01.2023 द्वारा प्रदान किया गया ।

(पी. एरा. व्ही. पी. क्रमांक 344/2022)



संस्था का नाम

HOLISTIC FOUNDATION

पता

DURG (C.G.)

मार्ग / मार्गों / क्षेत्र

DURG, BALOD, & RAIPUR

3.

जिसके लिए अनुज्ञापत्र वैध है। DISTRICTS AREA LIMIT'S

4.

यान की बैठक क्षमता 53

यान का पंजीयन चिन्ह	प्रकार मोक एवं मॉडल	निर्माण वर्ष	बैठकक्षमता	वेचिस नम्बर
1	2	3	4	5
CG07 CL - 2769	S.ML SCH/BUS	2022	43	0285044

5. ढोये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा : STUDENTS & STAFF OF

निबंधन जिनके अधीन उन्हें ढोया जायेगा SCHOOL ONLY

को लाने व ले जाने हेतु

5

अनुज्ञापत्र की वैधता दिनांक

17.01.2023 से 16.01.2028

कमरा:2

SECRETARY
HOLISTIC FOUNDATION
DURG (C.G.)

Principal
Sun Public School
Chandkhuri, Durg (C.G.)